तारीख	हुक्म
17/4/23	प्रकाशित ... 22/5/23 11-5-23 ग्राम ... सातलखेड़ी
11/5/23	पत्रावली आज प्रकाशित ग्रामों के संग ... पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित— केम्प सातलखेड़ी पर पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। उपस्थित पक्षकारान का कथन है कि, भूमि हमारे पूर्वजों के नाम है, उन्होंने खेती होगी। इसे या तो हमारे नाम दर्ज करें या इसे किसी के भी नाम नहीं रखकर सरकारी कर दी जावे। इससे हमें बार-बार यह सुनना नहीं पड़ेगा कि हमारे पूर्वज के नाम भूमि है। इस प्रकार भूमि को सरकारी कर दिया जावे तो हमें आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति अब होगी जब भूमि केता के नाम पर की जावेगी। A.S.I कम्पनी के प्रतिनिधि का कथन है कि न्यायालय जो भी विधि सम्मत कार्यवाही करे, वह स्वीकार होगी। हमने प्रकरण में पक्षकारों को सुन कर पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा ग्राम सातलखेड़ी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 36 की रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा को रघुनाथ हरिश्चन्द्र पिसरान रामा जी जाति मेघवाल निवासी सातलखेड़ी द्वारा एसोसियेटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज कोटा (लि०) रामगंजमंडी को 400 रु में दिनांक 27-12-62 को बेचान कर देने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा

(margin note: 10/5/23 ...)

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	-175 की कार्यवाही की गयी है. प्रकरण में हाल्लात भूमि के खातेदार R.T.Act 1955 की धारा 5 में यथा परिभाषित अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, जबकि प्रार्थी नं. 1 अनुसूचित जाति का हिस्सा नहीं है. कम्पनी SC की सदस्य नहीं होती है. उसका कोई सदस्य अवश्य होना संभव है. प्रकरण में विक्रेता अनुसूचित जाति में है तथा क्रेता अनुसूचित जाति में नहीं है। लिहाजा प्रकरण में R T Act 1955 की धारा 42 का उल्लंघन होना प्रमाणित है। प्रकरण में वाद कारण का ज्ञान 2-12-22 को होना प्रकट हो रहा है. तहसीलदार का शपथ पत्र शामिल मिसल है. प्रकरण में वर्णित भूमि साबिक खसरा नम्बर 36 की रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा के बाद बंदोबस्त हाल खसरा नम्बरान मुताबिक मिलान खसरा नम्बर 54 रकबा 1-66 हे. खसरा नम्बर 55 रकबा 0-30 हे. कायम किये गये है। जो अप्रार्थीगणों के ...	प्रकाशन ... 2/12/22

की धारा 63 के सुसंगत प्रावधानों के
अनुसार विक्रेता के खातेदारी स्वत्व
समाप्त होकर अब रेकॉर्ड में उनका
नाम या तत्पश्चात उनके वारिसान
का नाम मात्र दिखावटी प्रकट हो
रहे हैं। वस्तुतः भूमि पर से
उनके स्वत्व का अवसान हो चुका है
अब उक्त भूमि पर उनका विधिक
स्वत्व प्रमाणित नहीं है।

प्रकरण में यह
प्रमाणित है कि विक्रेता एवं क्रेता द्वारा
RT Act 1955 की धारा 42 के
सुसंगत प्रावधानों को अविधिक
तरीका अपनाकर परास्त करने का
प्रयास किया है। फलतः धारा 175 की
कार्यवाही विधिसंगत प्रतीत होती है।

अतः अंशतः

सहमति तथा गुणावगुण के आधार
पर प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर
यह आदेश किये जाते हैं, कि

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ग्राम सातलखेड़ी की भूमि हाल खसरा खसरा नं 55 मय खसरान 54 रकबा 1-66 हे., को अप्रार्थीगणों 2 नापत रकबा 0-30 हे. को अप्रार्थीगणों 2 नापत 22 के खाते से हटाकर सिवायचक खाता सरकार दर्ज किया जावे। उक्त भूमि से अप्रार्थीगणों को बेदखल कर कब्जा राजहक लेने हेतु प्रार्थी को आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रामगंजमंडी को निर्णय की प्रति प्रेषित कर कब्जा राजहक लेने एवं अमल दरामद हेतु लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 11-5-2023 को केम्प सातलखेड़ी पर सुनाया गया। कनिष्क कटारिया I. A. S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमंडी।	